मदरसे के माल पर ज़कात

ज़कात की जो रक़म मदरसों या बैतुलमाल में जमा होगी है उनका कोई मालिक नहीं होता। इसी तरह जो रक़म उपहार या सदक़े के रूप में मदरसों को दीन के काम में ख़र्च करने के लिए या किसी अन्य निर्धारित मद में दी जाती है वह देने वाले की मिल्कियत (स्वामित्व) से निकल कर अल्लाह की मिल्कियत में दाख़िल हो जाती है, इस लिए उसपर कोई ज़कात वाजिब नहीं होगी।

☆☆☆